

# न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री समदर सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 17/2025

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. लाखाराम पुत्र फुआराम 2. वीराराम पुत्र जोराराम 3. जेरामाराम पुत्र जोराराम 4. कानाराम पुत्र जोराराम 5. अणसीदेवी पत्नी लाखाराम 6. पार्वतीदेवी पत्नी राजूराम जातियान जाट निवासी खारा महेचान तहसील सिणधरी जिला बालोतरा	1. राजूराम पुत्र फुआराम 2. उदाराम पुत्र रूपाराम 3. रावताराम पुत्र कानाराम जातियान जाट निवासी खारा महेचान तहसील सिणधरी 4. उर्मिला देवी पत्नी राजूराम जाति सोनी निवासी खारा महेचान तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 5. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी 6. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सिणधरी 7. एक्सिस बैंक शाखा बालोतरा 8. तहसीलदार सिणधरी
---	---

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1. श्री अर्जनराम प्रजापत, अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1,3,4 की ओर से उपस्थित।
3. श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
4. प्रतिवादीगण सं. 08 के पैरोकार उपस्थित शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक— 06.11.2025

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा— खारा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा खेत खसरा सं. 583,437,490,558,582 रकबा कमशः 9.79 20291, 0.0728, 1.7394 हैक्टेयर व मौजा भांभूओं की ढाणी के खसरा संख्या 763 रकबा 763 रकबा 1.9335 हैक्टेयर भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 24.06.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड

विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

सहायक कलक्टर  
SDO सिणधरी


तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा- खारा महेचान तहसील सिणधरी जिला बालोतरा खेत खसरा सं. 583,437,490,558,582 रकबा क्रमशः 9.7970, 22.0291, 0.0728, 1.7394 हैक्टेयर व मौजा भांभूओं की ढाणी के खसरा संख्या 763 रकबा 763 रकबा 1.9335 हैक्टेयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।


क्र. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1.	लाखाराम पुत्र फूआराम अणसीदेवी पत्नि लाखाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन- लाखाराम का पूर्ण हि. एस.बी.आई. सिणधरी	खारा महेचान	437	2.6697	बा.सो.	0.16	आसमानी
			558	0.8737	बा.सो.	0.05	
			583	0.1780	बा.सो.	0.01	
		कुल	3	3.7214	बा.सो.	0.23	
2.	वीराराम पुत्र जोराराम जाति सा. देह खातेदार	खारा महेचान	437	3.6162	बा.सो.	0.22	लाल
			437	1.7313	बा.सो.	0.10	
		कुल	2	5.3475	बा.सो.	0.22	
		भांभूओं की ढाणी	763	1.9335	बा.सो.	0.12	
3.	जैरामाराम पुत्र जोराराम जाति सा. देह खातेदार	खारा महेचान	582	0.0405	बा.सो.	0	हरा
			583	7.4185	बा.सो.	0.45	
		कुल	2	7.4590		0.45	
4.	कानाराम पुत्र जोराराम जाति सा. देह खातेदार	खारा महेचान	437	4.5304	बा.सो.	0.27	बैंगनी
			583	1.1326	बा.सो.	0.07	
		कुल	2	5.6630			
5.	राजूराम पुत्र फूआराम पार्वतीदेवी पत्नि राजूराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन- राजूराम का पूर्ण हि. एक्सिस बैंक शाखा बालोतरा	खारा महेचान	437	2.6697	बा.सो.	0.16	कत्थई
			558	0.8657	बा.सो.	0.05	
			583	0.1861	बा.सो.	0.01	
		कुल	3	3.7215			
6.	राजूराम पुत्र फूआराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन- राजूराम का पूर्ण हि. एक्सिस बैंक शाखा बालोतरा	खारा महेचान	437	2.7425	बा.सो.	0.16	नीला
7.	रावताराम पुत्र कानाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	खारा महेचान	437	0.8090	बा.सो.	0.05	हल्का पीला
8.	उर्मिला पत्नि राजूराम जाति सोनी सा.देह खातेदार	खारा महेचान	583	0.8090	बा.सो.	0.05	गुलाबी
9.	उदाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन पूर्ण हि. आर.एम.जी.बी. सिणधरी	खारा महेचान	437	1.9982	बा.सो.	0.12	पीला
			437	0.7443	बा.सो.	0.05	
		कुल	2	2.7425			

10	अणसीदेवी पत्नि लाखाराम 1/24, कानाराम 1/4 जैरामाराम 1/4 वीराराम 1/4 पि. जोराराम पार्वतीदेवी पत्नि राजूराम 1/24 राजूराम 1/12 लाखाराम 1/12 पि. फूआराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन राजूराम का पूर्ण हि. एक्सिस बैंक बालोतरा तथा लाखाराम वीराराम का पूर्ण हि. एस.बी.आई. सिणधरी	खारा महेचान	490	0.0728	बा.सो.		सफेद
11	जैरामाराम पुत्र जोराराम जाति जाट सा. देह खातेदार (रास्ते के उपयोग हेतु)	खारा महेचान	583	0.0728	बा.सो.		केसरिया
12	संयुक्त खाता (रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि) अणसीदेवी पत्नि लाखाराम 1/32 लाखाराम पुत्र फूआराम 1/16 उदाराम पुत्र रूपाराम 1/8 कानाराम 531433/3524656 जैरामाराम 3/16 वीराराम 3/16 पि. जोराराम पार्वतीदेवी पत्नि राजूराम 1/32 राजूराम पुत्र फूआराम 3/16 रावताराम पुत्र कानाराम 8090/220291 जाति जाट सा. हेह खातेदार	खारा महेचान	437	0.5178	बा.सो.	0.03	काला

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

  
सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 06.11.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

**मूल वाद मे डिकी**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी  
पीठासीन अधिकारी:— श्री समदर सिंह भाटी, आर.ए.एस.

उनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. लाखाराम पुत्र फुआराम		1. राजूराम पुत्र फुआराम
2. वीराराम पुत्र जोराराम		2. उदाराम पुत्र रूपाराम
3. जेरामाराम पुत्र जोराराम		3. रावताराम पुत्र कानाराम जातियान जाट निवासी खारा महेचान तहसील सिणधरी
4. कानाराम पुत्र जोराराम		4. उर्मिला देवी पत्नी राजूराम जाति सोनी निवासी खारा महेचान तहसील सिणधरी जाल बालोतरा
5. अणसीदेवी पत्नी लाखाराम		5. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी
6. पार्वतीदेवी पत्नी राजूराम जातियान जाट निवासी खारा महेचान तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		6. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सिणधरी
		7. एक्सिस बैंक शाखा बालोतरा
		8. तहसीलदार सिणधरी


दावा बाबत:— 53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :- 17 / 2025

निर्णय दिनांक :- 06.11.2025

वादीगण की ओर से श्री अर्जनराम प्रजापत अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1,3,4 की ओर से श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 2 की ओर से श्री पाबूराम बेनीवाल अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 08 की ओर राज. पैरोकर की उपस्थिति एवं शेष की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06.11.2025 को श्री समदर सिंह भाटी (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:— वादीगण का वाद एवं प्रतिवादीगण सं. 1, 3,4 का काउन्टर क्लेम अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 06.11.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 06.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी

**वाद के खर्चे**

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्श के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
	जोड़		जोड़